बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग—१ कार्यवाही-प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि १ दिसम्बर, १९७७

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या २३, २५, ५३ एवं ५४ .... १—१२

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, १२—९२
३१७, ३१८, ३१९, ३२३, ३२९, ३३५, ३३६, ३३८, ३३९,
३४४, ३४६, ३४८, ३४९, ३५२, ३५६, ३५७, ३६२,
३६४, ३६७, ३६८, ३७२, ३७७, ३८०, ३८४, ३८६,
३८८, ३८९, ३९२, ३९३, ३९५, ३९७, ४००, ४०३,
४१०, ४१२, ४१३, ४१६, ४१७, ४१८, ४२३, ४२७,
४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३५, ४३६, ४४८,
४४९, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५८, ४५९,
४६१, ४६५, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७७, ४७९,
४८१, ४८३, १०१७, १०२०, १०२१, १०२३, १०२४,
१०२६, १०३१, १०३५, १०३६, १०३७, १०४०, १०४१,
१०५१, १०५२, १०५६, १०६०, १०६९, १०७३, १०८०
एवं ११०४ ।

परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) .... ९३—१३५

दैनिक निबंध .... १३७—१४१

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है, उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है ।

(२) लोक निर्माण विभाग की पद्धति है कि ठीकेदारों द्वारा किये गये कार्यों की मापी कर, विभाग के कनीय अभियंता मापी पुस्तिका में अंकित करते हैं। मापी पुस्तिका विभाग के उच्च पदाधिकारी जाँच कर भुगतान करते हैं, आवासी से प्रमाण पत्र कभी नहीं लिया जाता है।

(३) चूँकि विपत्र जाँच कर भुगतान किया जाता है। अतः इसका प्रश्न नहीं उठता है।

लिंक रोड के लिए राशि का आवंटन

११००. **श्री विक्रम कुँवर**—क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग ने लो० नि० वि०, को इस वर्ष दो करोड़ रुपया लिंक रोड बनाने के लिये दिया है;

(२) क्या यह बात सही है कि लखीसराय विधान सभा क्षेत्र में लिंक रोड के निर्माण के लिए ६० लाख रुपयों का प्राक्कलन तैयार कर लो० नि० वि०, को भेज दिया गया है;

(३) क्या यह बात सही है कि १५ लाख ५० हजार रुपया का लिंक रोड तैयार करने के लिये उक्त क्षेत्र में आवंटन भी हो चुका है;

(४) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो अन्य विधान सभा क्षेत्र में लिंक रोड के निर्माण के लिये सरकार उक्त राशि का बंटवारा किस रूप में कब तक करने का विचार रखती है ?

श्री अनुपलाल यादव—(१) वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद् ने कृषि उत्पादन बाजार मण्डियों से संबंधित पथों के विकास के लिए पत्रांक २२० दि० १८-२-७७ एवं १४६८ दि० २४-८-७७ द्वारा १,१९,०५,००० रु० एवं ७४,६०,००० रु० कुल (१,९३,६५,००० रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है, जिसका कार्यान्वयन लोक निर्माण विभाग, द्वारा डिपोजिट कार्य के रूप में होना है।

(२) क्या यह बात ठीक है कि लखीसराय बाजार मंडी से संबंधित ६ पथों के विकास के लिए मात्र ५९,२५,५०० रु० का प्राक्लकन लोक निर्माण विभाग के पत्रांक १५११५ दि० २-८-७७ द्वारा विहार राज्य कृषि विपणन पर्षद को प्रशासकीय स्वीकृति हेतु भेजा गया था।

(३) प्रसंगाधीन क्षेत्र को बाजार मंडी (लखीसराय) से संबंधित कुल ३ पथों के विकास हेतु प्रशासकीय स्वीकृति मात्र १६-८५ लाख रु० को कृषि विपणन पर्षद के पत्रांक १४६८ दि० २४-८-७७ द्वारा प्राप्त हो चुका है।

(४) यह कार्यक्रम राज्य में निर्मित बाजार मण्डियों से संबंधित पथों के विकास के लिए शुरू हुआ है। अतः सड़कों का चयन निमित विधान सभा क्षेत्रों के आधार पर नहीं बल्कि विभिन्न बाजार मण्डियों की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित है।

बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

११०२. **श्री मुहम्मद आलम**—क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि आई० टी०आई० दीघा (पटना) से दानापुर शहर तक की सड़क जो सन् १९७५ एवं १९७६ की भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गयी थी, उसकी अभी तक मरम्मत नहीं की गई है;

(२) क्या यह बात सही है कि पटना बाईपास नई सड़क जो दानापुर से पटना जाती है वह उक्त बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गयी थी लेकिन इसकी मरम्मति अभी तक नहीं की गई है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत अविलम्ब करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

(१) **श्री अनुपलाल यादव**—उत्तर स्वीकारात्मक है।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बाढ़ क्षतिग्रस्त प्राक्कलन जिसकी अनुमानित लागत ८,९४,२००/- रुपये मात्र था का कार्य पूरा हो गया। स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार